530

कार्यालय ... सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
आवक संख्या 1300
दिनांक 12-04-2012

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल की आज्ञा

77 / 2012

दिनांक 09 अप्रेल, 2012 को आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन कमांक: एफ. 16(1)( )ब.घो.सं.–68 / 10–11 / वि.यो.ज. / सान्याअवि / **758** दिनांक 13 मार्च, 2012 पर विचार–विमर्श कर ज्ञापन में अंकित राजस्थान राज्य विशेष योग्यजन नीति, 2012 संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए ज्ञापन के संलग्न तत्संबंधी नीति के प्रारूप का अनुमोदन किया गया ।

(सी.के. मैथ्यू)
मुख्य सचिव

प्रमुख शासन सचिव,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
डी. 77 / मं.मं. / 2012
जयपुर, दिनांक: 11 अप्रेल, 2012

12/4/12

D/SAP
AD (SAP)

12/4/12

प्रति संख्या 36 517

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

निदेशालय विशेष योग्यजन

क्रमांक : एफ 16 (1)( )ब.घो.सं.68/10-11/वि.यो.ज./सान्याअवि/ 758 जयपुर, दिनांक 13/3/2012

मंत्रीमण्डल ज्ञापन

विषय : राजस्थान राज्य विशेष योग्यजन नीति 2012 के मंत्रिमण्डल ज्ञापन के अनुमोदन बाबत।

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय की वर्ष 2010-11 की बजट घोषणा सं. 68 के तहत "राज्य सरकार निःशक्तजनों के कल्याण हेतु कृत संकल्प है तथा इस हेतु निःशक्तजन नीति बनाई जायेगी, जिससे इन लोगों को आत्मनिर्भर बनाये जाने के अधिक अवसर सुलभ करवाये जा सकेगें" की घोषणा की गई है।

2. उक्त घोषणा के अनुसार प्रस्तावित राजस्थान राज्य विशेष योग्यजन नीति राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन, जयपुर के सहयोग से उक्त नीति का प्रारूप तैयार किया गया। प्रस्तावित राज्य विशेष योग्यजन नीति से निम्न प्रमुख नीतिगत पहलूओं पर विशेष योग्यजनों की सहभागिता हो सकेगी।

➢ विशेष योग्यजनों को समान अवसर उपलब्ध कराना।

➢ विशेष योग्यजनों को पूर्ण स्वाधीनता एवं स्वाभिमान प्रदान करना।

➢ सामुदायिक उत्तरदायित्व एवं सहभागिता सुनिश्चित करना।

➢ विशेष योग्यजनों के सामाजिक एवं आर्थिक पुर्नवास में नवाचार करना।

3. प्रस्तावित राज्य विशेष योग्यजन नीति का प्रमुख आधार विशेष योग्यजनों के जीवन के समस्त पहलूओं का विकास करना है, जिसमें प्रमुख अवधारणात्मक पहलूओं को सम्मिलित किया गया है :-

➢ विकासात्मक अवधारणा के तहत विशेष योग्यजनों का विकास, क्षमता और व्यक्तिगत स्वायतत्ता पर बल देते हुए इनके अधिकारों को प्रोन्नत एवं सुनिश्चित करने का दायित्व सरकार का होगा।

➢ उद्धारपरक अवधारणा के तहत विशेष योग्यजनों की क्षमताओं का सम्मान करते हुए इनके कार्य सामर्थ्य के स्तरों के अनुसार समाज के विभिन्न पहलूओं के तहत इनके अधिकारों को सुरक्षित करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी होगी।

➢ सुरक्षात्मक अवधारणा के तहत विशेष योग्यजनों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार एवं उनके विरूद्ध किये जाने वाले क्रियाकलापों से उन्हें किसी प्रकार की हानि न हो इस हेतु उनको एवं उनके अभिभावक को समाज, समुदाय एवं राज्य द्वारा पूर्ण संरक्षण प्रदान किया जायेगा।

4. प्रस्तावित राज्य विशेष योग्यजन नीति द्वारा विशेष योग्यजनों के कल्याणार्थ विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का आपसी समन्वय, प्रभावी क्रियान्वयन, योजनाओं एवं कार्यक्रमों में विशेष योग्यजनों की सहभागिता से निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सकेगी।

- सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों में विशेष योग्यजनों को सम्मिलित करना।
- समस्त सरकारी क्षेत्रों में विशेष योग्यजनों के कल्याण हेतु समेकित प्रबंध प्रणाली का विकास
- विशेष योग्यजन पुर्नवास सेवाओं का गठन एवं विस्तार करना।
- विशेष योग्यजन क्षमता निर्माण हेतु कार्यनीति तैयार करना।
- विशेष योग्यजनों के कल्याणार्थ लोक शिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना।
- बालकों एवं महिलाओं के शोषण एवं दुराचार (दुर्व्यवहार) के प्रति संरक्षण उपलब्ध कराना
- सरकार एवं स्थानीय स्वशासन द्वारा विशेष योग्यजनों हेतु उचित बजट प्रावधान करना।

5. प्रस्तावित राज्य विशेष योग्यजन नीति से विशेष योग्यजनों के कल्याणार्थ निम्न प्रयोजनों की प्राप्ति हो सकेगी :-

- बाधा रहित योग्यता के आधार पर विशेष योग्यजनों को समान अवसर एवं उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित कराना।
- पूर्ण सहभागिता/अधिकार सुनिश्चित करना।
- संसाधनों, सेवाओं एवं सुविधाओं के उपयोग के बाधा रहित पूर्ण अवसर विशेष योग्यजनों को उपलब्ध कराना।
- नियोजन स्थल पर बाधारहित सुविधाऐं उपलब्ध कराना।
- राज्य सरकार व्यापक विशेष योग्यजन विनियम बनाये जाने का उपबन्ध करें जिसमें उद्योग दर उद्योग, सैक्टर दर सैक्टर बनाये जाने का विकल्प हो एसे विनियमों के अधिनियमित किये जाने से पूर्व प्रभावित वर्ग (विशेष योग्यजनों) से चर्चा कर उपयुक्त सुझाव सम्मिलित किये जायेगे।
- राज्य सरकार उन कम्पनियों, व्यक्तियों और समुहों को शिक्षा एवं अन्य सूचना संसाधन उपलब्ध करायेगी जो निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 की अपेक्षाओं के अनुपालन में आवश्यक हो।
- विशेष योग्यजनों हेतु नई ग्रहय तकनीक, उच्च शिक्षा हेतु ब्रेल लिपि पाठ्य सामग्री एवं सेवाओं के विकास तथा वातावरण में सकारात्मक प्रयास करना।
- स्थानीय स्वशासन द्वारा निधियन में कोई अनुदान या संविदा, विशेष योग्यजनों की पहूंच के भीतर होने पर ही अनुमत की जा सकेगी।
- विशेष योग्यजनों की विकृति निवारण हेतु त्वरित पहचान एवं रोकथाम हेतु अर्न्तराष्ट्रीय बाल अधिकार सम्मेलन ओर बिवाको सहस्राब्दि रूपरेखा के अनुरूप कार्य करना।

6. प्रस्तावित विशेष योग्यजन नीति में विशेष योग्यजनों के लिए सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, संरचनात्मक एवं अन्य पक्षों हेतु विशेष कार्य योजना तैयार करना। विशेष योग्यजन आयुक्त की नियुक्ति एवं उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यो का समावेशन के साथ-साथ जिला स्तर पर विशेष योग्यजनों हेतु पृथक से कार्यालय की संरचना स्थापित करना। विभिन्न विभागों द्वारा विशेष योग्यजनों के कल्याणार्थ संचालित योजना एवं कार्यक्रमों की आपसी सामन्जस्य से प्रभावी क्रियान्विति सुनिश्चित करना। उक्त सभी कार्यो एवं व्यवस्थाओं की मोनेटरिंग एवं अनुपालना जैसे महत्वपूर्ण पक्षों को प्रस्तावित राजस्थान राज्य विशेष योग्यजन नीति, 2012 में समाहित किया गया है। (प्रस्तावित राज्य विशेष योग्यजन नीति प्रारूप परिशिष्ठ-अ पर अवलोकनीय है)
7. प्रस्तावित विशेष योग्यजन नीति से भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली समस्त योजनाओं एवं कार्यक्रमों का त्वरित लाभ विशेष योग्यजनों को मिल पायेगा।
8. प्रस्तावित विशेष योग्यजन नीति, 2012 से विशेष योग्यजनों हेतु उपलब्ध अधिनिमयमों, नियमों एवं विधिक प्रावधानों की प्रभावी पालना सुनिश्चित हो सकेगी।
9. प्रस्तावित विशेष योग्यजन नीति, 2012 में वित्तीय प्रावधान न होने से वित्त विभाग की राय अपेक्षित नहीं है।
10. प्रस्तावित विशेष योग्यजन नीति, 2012 में नियुक्ति संबंधी प्रावधान न होने से कार्मिक विभाग की राय अपेक्षित नहीं है।
11. प्रस्तावित विशेष योग्यजन नीति, 2012 के संबंध में विधि विभाग की राय प्राप्त करली गई है। (परिशिष्ठ-ब अवलोकनीय है)
12. प्रस्तावित विशेष योग्यजन नीति, 2012 को मंत्रिमण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु मुख्य सचिव महोदय, माननीय मंत्री महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। (परिशिष्ठ-स अवलोकनीय है)
13. आज्ञापक कियान्वयन अनुसूची परिशिष्ठ-द पर संलग्न है।

अतः विशेष योग्यजनों के कल्याणर्थ राजस्थान राज्य विशेष योग्यजन नीति, 2012 केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित योजनाओं एवं विधिक प्रावधानों के त्वरित व प्रभावी कियान्वयन हेतु राजस्थान राज्य विशेष योग्यजन नीति, 2012 को प्रदेश में लागू करने हेतु मंत्रिमण्डल की अनुमति अपेक्षित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(अदिति मेहता)
प्रमुख शासन सचिव